न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.

राजस्व वाद पत्र संख्या– 116/2017

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. **बबलु पुत्र मदनाराम उम्र 25 वर्ष** 2. **प्रेमली पत्नी मदनाराम उम्र 50 वर्ष जातियान राव निवासीगण ग्राम बगड़की, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर**		**भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 23.10.2017

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट पेश किया हैं कि ग्राम रियां खाता संख्या 457 में के कृषि भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में मेरे पिता का नाम मदनलाल पुत्र श्रीराम दर्ज है जो कि गलत हैं। मेरे पिता का वास्तविक नाम मदनाराम पुत्र श्रीराम हैं । वादी के सभी दस्तावेजो में मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, में वादी के पिता का नाम मदनाराम पुत्र श्रीराम दर्ज हैं । जिसे रेकर्ड में सही करावे।

हमने राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया । इस सम्बन्ध में तहसीलदार पीपाड़ शहर से जबाब प्राप्त किया जिन्होने बताया कि ग्राम रियां के खाता संख्या 457 में मदनलाल पुत्र श्रीराम के स्थान पर वादी के पिता का नाम मदनलाल पुत्र श्रीराम के स्थान पर मदनाराम पुत्र श्रीराम किया जाता है तो तहसीलदार पीपाड शहर को कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं ।

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रियां के **खाता संख्या 457** में **मदनलाल पुत्र श्रीराम** के स्थान पर दुरूस्त कर **मदनाराम पुत्र श्रीराम** दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 23.10.2017 को खुले न्यायालय लोक अदालत में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर